पत्रसंख्या—7/वि० वि० पा०—5013/2001 का० 6063/

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

—x—

प्रेषक,

श्री नित्य शंकर मुखोपाध्याय
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग ।
सभी विभागाध्यक्ष ।
सभी उपायुक्त ।

राँची, दिनांक—03-11-03

विषय:— सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दी जाने वाली उपाधियों यथा—प्रवेशिका, साहित्यभूषण एवं साहित्यालंकार को क्रमश: मैट्रिक, आई० ए० एवं बी० ए० के समकक्ष स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, बिहार, पटना द्वारा प्रचारित पत्र संख्या—8/आर०-303/84 का० 541 **दिनांक** 11-1-91 **की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त परिपत्र झारखण्ड राज्य में लागू है ।**

विश्वासभाजन,

हस्ताक्षर
3.11.03
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 7/वि० वि० पा०—5013/2001 का० 6063/राँची, दिनांक 03-11-03

प्रतिलिपि :—शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली एवं संबंधित संस्थाओं के निबंधक को आवश्यक कारवाई हेतु अग्रसारित ।

हस्ताक्षर
3.11.03
सरकार के उप सचिव